इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2020—पौष 4, शक 1942

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम.
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग) अंतिम नियम

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

सूचना

क्र. A-2817.—मध्यप्रदेश मध्यस्थता नियम, 2016 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, एतद्द्वारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के साथ पठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 एवं 128 द्वारा प्रदत्त शिक्तयों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त संहिता की धारा 122 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर संशोधन के उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त संशोधन के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालाविध के अवसान होने तक या उसके पूर्व रजिस्ट्रार जनरल, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को प्राप्त हो, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाएगा, अर्थात्:—

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) में, अंक तथा शब्द ''10 वर्ष'' के स्थान पर, अंक तथा शब्द ''5 वर्ष'' स्थापित किए जाएं.

राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

Jabalpur, the 2nd December 2020

NOTICE

No. A-2817.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Mediation Rules, 2016, which the High Court of Madhya Pradesh, hereby, proposes to make in exercise of the powers conferred by Article 225 of the Constitution of India read with Section 122 and Section 128 of the Code of Civil Procedure, 1908, is hereby published as required by Section 122 of the said code for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of amendments shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any onjection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of amendments by the Registrar General, Madhya Pradesh High Court, Jabalpur on or before the expiry of the period specified above shall be considered by the Madhya Pradesh High Court, namely:—

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in rule 6, in sub-rule (2), for the figure and word "10 years", the figure and word "5 years" shall be substituted.

RAJENDRA KUMAR VANI, Registrar General.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 15-12-2020-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 26 की उप-धारा (2) (क) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आरक्षित एवं संरक्षित वनों में फिल्मांकन के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंम -
 - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वन फिल्मांकन नियम, 2020 है।
 - (2) ये वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अधीन अधिसूचित अभ्यारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों तथा टाइगर रिज़र्व को छोड़कर सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों एवं वन परिसरों को लागू होंगे।
 - (3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं इन नियमों में, जब तक कि सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो. -
 - (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16),
 - (ख) ''कैमरामैन'' से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जिसके नाम से फिल्मांकन के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है;
 - (ग) ''फिल्मांकन'' से अभिप्रेत है, स्थिर छायाचित्रण, चलचित्र अथवा चलचित्र निमार्ण का कोई अन्य प्रकार;
 - (घ) "आरक्षित वन" एवं संरक्षित वन" का वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में परिभाषित किया गया है परन्तु इसमें टाईगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभ्यारण्य, सम्मिलित नहीं है:
- 3. नियम 15 में यथा वर्णित शर्तों के अधीन उस क्षेत्र के वन मंडलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आरक्षित एवं संरक्षित वनों में फिल्मांकन के लिए अनुज्ञापत्र जारी किया जाएगा।

- 4. आरक्षित अथवा संरक्षित वनों में फिल्मांकन हेतु अनुज्ञापत्र जारी किये जाने के लिए आवेदन उस क्षेत्र के वनमण्डलाधिकारी के कार्यालय में अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड के कार्यालय में या तो लिखित में अथवा ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।
- 5. फिल्मांकन हेतु अनुज्ञापत्र केवल उसी प्रयोजन के लिए जारी किया जाएगा, जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है।
- 6. अनुज्ञापत्र कैमरामैन के नाम से जारी किया जाएगा, लागू फीस निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी:-

सारणी—एक

अनुक्रमांक	कालावधि	भारतीय शैक्षणिक / अनुसंघान संस्थाए / समस्त राज्य एवं केंद्र शासन स्थापनाएं	अन्य व्यक्ति/ संस्थाएं
		फीस प्रति कैमरामेन प्रति दिन	
1.	प्रथम ७ दिन	रु. 2000 ∕ —	₹. 10,000 /—
2.	8वें से 15वें दिन	₹. 1500/-	⊽ . 7,500 ∕ −
3.	16वें दिन और उससे अधिक	₹. 1000/-	₹. 5,000/—

- 7. फिल्मांकन की पूरी अवधि के लिए फीस अग्रिम रूप से देय होगी। दिनों की गणना 00:00 बजे से 24:00 बजे तक की होगी।
- 8. कैमरामैन के साथ आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई सूची के अनुसार एक कर्मीदल को भी अनुमति दी जाएगी। ऐसे कर्मीदल के लिए पृथक से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।
- 9. वनमंडलाधिकारी का एक प्रतिनिधि कर्मचारिवृद फिल्मांकन दल के साथ अनिवार्य रूप से रहेगा।
- 10. अनुज्ञापत्र अथवा वनमण्डलाधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों की किसी भी शर्त का वाहन चालक को सम्मिलित करते हुये कर्मीदल के किसी सदस्य द्वारा उल्लंघन, अधिनियम के अधीन कार्यवाई को आमंत्रण देगा और अनुज्ञापत्र, अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र की शेष अवधि के लिए पूर्णतः या अंशतः रदद किया जा सकेगा।
- 11. नियम 6 के अधीन सारणी—एक में की दरों के पुनरीक्षण की शक्ति राज्य सरकार, वन विभाग के साथ निहित होगी।
- 12. फिल्मांकन के लिए फीस ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन भुगतान की जा सकेगी।
- 13. ऑफलाइन रीति से प्राप्त की गई फीस को कोषालय में राजस्व मद 0406—103 (पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियां)—800 (अन्य प्राप्तियां) के अधीन, फीस की प्राप्ति की तारिख से 7 दिवस के भीतर जमा की जाएगी।
- 14. ऑनलाइन फीस सायवर कोषालय मध्यप्रदेश कोषालय के पोर्टल पर जाकर तथा अन्य विभाग के टैब पर क्लिक कर के तथा वन विभाग का चयन कर और तब शीर्ष 0406—01—800—0000 अन्य प्राप्ति में जमा की जा सकेगी, जिसकी रसीद प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

15. अनुज्ञापत्र जारी करने हेतु सामान्य शर्ते -

- (1) फिल्मांकन के दौरान किसी वन संपदा अथवा वन्यजीव को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी।
- (2) वन क्षेत्रों में कोई स्थाई निर्माण नहीं किया जाएगा।
- (3) फिल्म में दिखाए गए वन क्षेत्रों के नाम को प्रदर्शित किया जाएगा।
- (4) वन क्षेत्र में कोई कूड़ा-कचरा इत्यादि नहीं फैलाया जाएगा।
- (5) वन क्षेत्र में बिजली या किसी भी प्रकार के विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ का उपयोग पूर्णतः वर्जित है।
- (6) शासकीय संपत्ति को कोई क्षिति नहीं पहुंचाई जाएगी। किसी क्षिति या नुकसानी की दशा में अनुज्ञापत्रधारी, उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्रवाई के अलावा ऐसी क्षिति की रकम के भुगतान का दायी होगा।
- (7) फिल्मांकन केवल उन्हीं स्थानों पर किया जा सकेगा जिसके लिए अनुज्ञापत्र जारी किया गया है।
- (8) फिल्मांकन के दौरान जीवन अथवा संपत्ति की किसी दुर्घटनावश हानि के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- (9) अनुज्ञापत्र जारीकर्ता अधिकारी अन्य कोई शर्त (शर्तें) जो वह सुरक्षा के प्रयोजन के लिए उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा।

No. F 15-12/2020/ X-2 :: In exercise of the powers conferred by sub section (2)(a) of section 26 and clause (d) of section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927) the State Government, hereby, makes the following rules for filming in Reserved and Protected forests, namely:-

RULES

1. Short title, extent and commencement. -

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Forests Filming Rules, 2020.
- (2) They shall apply to all Reserved and Protected Forests and forest campuses in the entire state of Madhya Pradesh except in Sanctuaries, National Parks and Tiger Reserves notified under the Wildlife (Protection) Act, 1972.
- (3) They shall come into Force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.
- 2. Definitions. In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927);
 - (b) "Cameraman" means a person in whose name the permit for filming has been issued.
 - (c) "Filming" means still photography, movie or any other kind of film making.
 - (d) "Reserved Forest" and "Protected Forest" will have the same meaning as defined in the Act but does not include any part of Tiger Reserves, National Parks or Sanctuaries;
- 3. The permit for filming in Reserved and Protected Forests shall be issued by Divisional Forest Officer of that area or an officer authorized by the State Government under the conditions as described in rule 15.

- 4. Application for issuance of permit for filming in Reserved and Protected Forests shall be submitted either in writing or online in the office of Divisional Forest Officer of the area or in the office of the Chief Executive Officer, Madhya Pradesh Eco-tourism Development Board.
- 5. Permit for filming will be issued only for the purpose for which the applicant has applied.
- 6. Permit will be issued in the name of cameraman, the applicable fee shall be according to the following table:—

Table - I

SI. No.	Duration	Indian Educational/ Research Institutions/ all State and Central Government establishments	Other Individuals/Entities	
,		Fee Per Cameraman per day		
1	First 7 days	Rs. 2000/-	Rs. 10000/-	
2	8 th to 15 th Day	Rs. 1500/-	Rs. 7500/-	
3	16 th day and beyond	Rs. 1000/-	Rs. 5000/-	

- 7. The fee for the entire duration of filming shall be payable in advance. The counting of days will be from 00:00 hrs to 24:00 hrs.
- **8.** A crew shall also be permitted with the cameraman as per the list submitted with the application. No separate fee shall be charged for such crew.
- 9. One representative staff of the Divisional Forest Officer shall mandatorily accompany the filming crew.
- 10. Violation of any of the conditions of the permit or instructions issued by the Divisional Forest Officer by any member of the filming crew including drivers will invite action under the Act and the permit may be cancelled fully or partly for the rest of the duration of the permit by the officer authorized to issue the permit.
- 11. The power to revise the rates in Table-I under rule 6 vests with the State Government, Forest Department.
- 12. The fee for filming may be paid online or offline.
- 13. The fee received in offline mode shall be deposited in treasury under the revenue head 0406-103 (Receipt from Environmental Forestry) 800 (Other Receipts) within 7 days from the date of receipt of fee.
- 14. The online fee may be deposited by visiting the portal of Cyber Treasury M.P. treasury and clicking the tab of other department and selecting Forest Department and then depositing the fee in the head 0406-01-800-0000-Other Receipt, the receipt of which shall be presented to the authorized officer.
- 15. General Conditions to Issue Permit.
 - (1) No damage shall be done to any forest property or wildlife during filming.
 - (2) No permanent construction shall be done in the forest areas.
 - (3) The names of the forest areas shown in the film shall be displayed.
 - (4) No garbage etc. shall be littered in the forest area.
 - (5) The use of electricity or any kind of explosive or inflammable material is strictly prohibited in the forest area.
 - (6) The government property shall not be damaged. In case of any loss or damage, the permit holder shall be liable to pay the amount of such damage apart from any legal action taken against him.
 - (7) Filming may be done only in places for which the permit has been issued.
 - (8) The Department shall not be liable for any accidental loss of life or property during filming.
 - (9) The permit issuing officer may impose any other condition(s) as he may deem fit for the purpose of security.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एच. एस. मोहन्ता, सचिव.